तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रिव्यू प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2018 भंवरसिंह वगैरा बनाम सुखदेवसिंह वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2019	प्रार्थी अभिभाषक श्री रूघाराम चौधरी ने यह रिव्यू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा अपील संख्या 17/2018 अनवान भंवरसिंह वगैरा बनाम सुखदेवसिंह वगैरा में दिनांक 26.06.2018 को पारित किया गया के विरूद्ध पेश किया गया। रिव्यू प्रार्थना–पत्र विचाराधीन रहते माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक वादसंख्या/निगरानी/टीए/2018/4743 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा इस न्यायालय की निर्णित राजस्व अपील संख्या 17/2018 निर्णय दिनांक 26.06.2018 की मूल पत्रावली तलब करने पर इस न्यायालय के पत्रांक एडीएम/प्रथम/कोर्ट/रीडर/2019/50 दिनांक 22.01.2019 के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित की गई। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में कर दी गई है और मूल पत्रावली राजस्व अपील संख्या 17/2018 राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित की जा चुकी है इसलिए इस स्थिति में रिव्यू प्रार्थना–पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः रिव्यू प्रार्थना–पत्र इस स्थिति में खारिज किया जाता है। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।	